राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः प.20( )राभ/ 2016 / 5456 दिनांक 19.10.2022

<u>सीमित बोली सूचना</u>

राजभवन, जयपुर में कार्नेशन फूल प्रति दिन दर अनुमोदन दिनाकं से आगामी एक वर्ष तक सप्लाई करने लिए दरें अनुमोदन हेतु बोलीं आमंत्रित की जाती हैं ,जो दिनांक 28.10.2022 दोपहर 01.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 28.10.2022 को दोपहर 3.00 बजे राजभवन कार्यालय में उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 1,50,000/-(सभी करों सहित) होगी।

इच्छुक फर्में दिनांक 20.10.2022 दोपहर 6.00 बजे से बोली दस्तावेज प्रपत्र राजभवन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा राजभवन की पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in / http:/sppp.raj.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

19/10/2022
(संध्या शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः प.20( )राभ/ 2016 / 5457 दिनांक 19.10.2022

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रभारी अधिकारी (IT) राजभवन,जयपुर को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in / http:/sppp.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड ,कार्यालय
4 रक्षित पत्रावली

19/10/2022
(संध्या शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

सीमित बोली प्रपत्र

कार्य का नामः– कार्नेशन फूल, सप्लाई दर बाबत।

बोलीदाता का नामः–..

पताः–..

क्र.सं.	आईटम का नाम	इकाई प्रति नग/किलो	दर रूपये	जी.एस.टी./कर की दर प्रतिशत में (यदि देय हो)
1.	कार्रनेशन	प्रति नग		

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

कन्ट्रोलर · व. लेखाधिकारी · उपसचिव II

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर
सीमित बोली सूचना 2022–23 की की शर्तें

कार्य का नामः– राजभवन, जयपुर में कार्नेशन फूल सप्लाई बाबत।

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं इससे सम्बन्धित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना , परिपत्र , गाईडलाइन ,आदेश, निर्देश प्रभावी होंगे। बोलीदाता को "नियम" "अधिनियम" की पूर्व जानकारी कर लेनी चाहिये। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" "नियम" के किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "नियम" एवं "अधिनियम" के प्रावधान प्रभावी होगें।

2. राजभवन के सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी के मौखिक/टेलिफोनीक **संदेश के तुरन्त बाद मांग अनुसार सामान यथा आदेश अधिकत्तम समय 20 मिनिट मे राजभवन में उपलब्ध** कराना होगा।

3. समस्त सामान राजभवन की गरिमा के अनुसार ताजा एवं बिना कीट–व्याधि के उपलब्ध कराना होगा।

4. बोली प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। बोली डाक व तार द्वारा मान्य नहीं होगी। बोली दर सिर्फ स्याही से भरी जावे उसमें कोई काट–छांट ना हो। किसी प्रकार के सुधार पर अपने लघु हस्ताक्षर करें।

5.बोली प्रपत्र एवं संलग्न शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।

6. यदि अनुमोदित फर्म अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रही तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा कार्य सबलेट नहीं किया जायेगा।

7. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।

8. कन्ट्रोलर राजभवन/ अधीक्षक उद्यान या उन्हीं की ओर से अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी किसी भी समय फूल, फूल बंच एवं फ्लावर बास्केट , स्पेशल बंच ,, विभिन्न फूलों की पत्तियॉ एवं फ्लावर पत्ती का निरीक्षण करने पर यदि कोई भी कमी पाई जाती है तो विभाग द्वारा तुरन्त प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

9. बोलीदाता बोली देने से पूर्व राजभवन उद्यान अनुभाग में उपस्थित होकर अधीक्षक उद्यान से कार्य की जानकारी प्राप्त करेगा।

10 उक्त ठेके के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय प्रमुखसचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

11. बोली प्रपत्र वही भरने का पात्र होगा जिसके पास राजकीय विभाग/ **वी.वी.आई.पी.** जगह इसी प्रकृति का कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होगा ।

12. . बोली संबंधी समस्त पत्राचार **कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड,राजभवन जयपुर** के नाम करना होगा तथा ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।

13. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानानुसार उक्त अवधि को बढाया भी जा सकता है।

14. राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

कन्ट्रोलर | **व.लेखाधिकारी** | **उप सचिव**